कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8384/2021 भानुमति सहाय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 द्वारा याचिकार्थी को अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 4 सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्रीमती भानुमति सहाय, प्रधानाचार्य राउमावि तितोली, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने पुत्र एवं पति की बीमारी के आधार पर अपना पदस्थापन राबाउमावि फायसागर, अजमेर/राउमावि बिठुर, पीसांगन जिला अजमेर/राउमावि लामाना, पीसांगन जिला अजमेर/राउमावि गोहाना, जवाजा जिला अजमेर अथवा राउमावि दौलतपुरा, मसूदा जिला अजमेर में प्रधानाचार्य पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार पति–पत्नी /माता–पिता/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। याचिकार्थी राज्य सेवा की राजपत्रित स्तर की अधिकारी हैं और विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। याचिकार्थी अजमेर जिले के समीपस्थ भीलवाड़ा जिले में ही पदस्थापित हैं, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/भानुमति/8384/2021 दिनांकः 22/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक भीलवाड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती भानुमति सहाय, प्रधानाचार्य राउमावि तितोली, आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)